NEW DIRECTIVE FOR FOREIGN SATELLITES

The directive reflects a significant regulatory update aimed at enhancing oversight and promoting the use of authorized satellite services within India's broadcasting landscape, ensuring compliance and fostering structured international cooperation.

The Ministry of Information and Broadcasting (MIB) has issued a directive requiring all satellite TV channels in India to obtain authorization from the Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe) before using foreign satellite services for broadcasting.

AUTHORIZATION REQUIREMENT

Only satellites authorized by IN-SPACe are permitted to provide space-based communication and broadcast services in India.This applies to any new capacity, additional capacity, or changes in satellite arrangements involving non-Indian satellite.

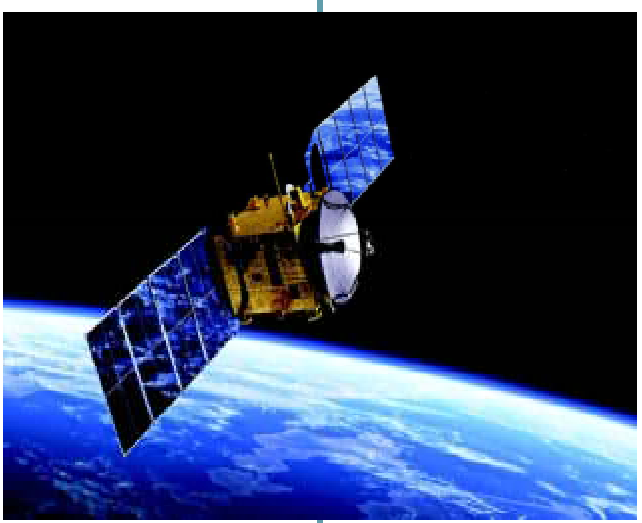

Applications for IN-SPACe authorization must be submitted through the IN-SPACe digital platform by an Indian entity.

The Indian entity could be a subsidiary, joint venture, collaboration, or an authorized dealer/ representative of the non-Indian satellite operator in India.

Current arrangements for capacity provision from non-Indian satellites in any frequency band (C, Ku, or Ka) are allowed an extension until March 31, 2025.From April 1, 2025, only IN-SPACe authorized non-Indian geostationary orbit (GSO) satellites and non-

विदेशी सैटेलाइटों के लिए नया निर्देश

यह निर्देश भारत के प्रसारण परिदृश्य में अधिकृत सैटेलाइट के उपयोग को बढ़ावा देने और निगरानी बढ़ाने, अनुपालन सुनिश्चित करने और संरचित अंतरर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विनियामक अपडेट को दर्शाता है।

सूचना व प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने एक नया निर्देश जारी किया है जिसके अनुसार भारत में सभी सैटेलाइट टीवी चैनलों को प्रसारण के लिए विदेशी सैटेलाइट का उपयोग करने से पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन व प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

प्राधिकरण की आवश्यकता

केवल IN-SPACe द्वारा अधिकृत सैटेलाइटों को ही भारत में अंतरिक्ष आधारित संचार और प्रसारण सेवायें प्रदान करने की अनुमति है। यह किसी भी नयी क्षमता, अतिरिक्त क्षमता या गैर भारतीय सैटेलाइट से संबंधित सैटेलाइट व्यवस्था में परिवर्तन पर लागू होता है।

IN-SPACe प्राधिकरण के लिए आवेदन भारतीय इकाई द्वारा IN-SPACe डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

भारतीय इकाई भारत में गैर भारतीय सैटेलाइट ऑपरेटर की सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम, सहयोग या अधिकृत डीलर/प्रतिनिधि हो सकती है।

किसी भी फ्रीक्वेंसी बैंड (सी, कू या का) में गैर भारतीय सैटेलाइटों से क्षमता प्रावधान के लिए मौजूदा व्यवस्था को **31** मार्च **2025** तक विस्तार की अनुमति है। **1** अप्रैल **2025** से केवल IN-SPACe अधिकृत गैर-भारतीय जियोस्टेशनरी कक्षा (जीएसओ) सैटेलाइटों और गैर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कक्षा (एनजीएसओ)

geostationary satellite orbit (NGSO) constellations will be permitted to provide their capacity for space-based communication and broadcast services in India.

BROADCASTERS COMPLIANCE

Broadcasters will need to ensure compliance with the new authorization requirements, potentially involving additional administrative steps and coordination with IN-SPACe.

Existing contracts with non-Indian satellite operators may need to be reviewed and possibly renegotiated to align with the new regulations by the 2025 deadline.

NON-INDIAN SATELLITE OPERATORS

These operators will need to work through Indian entities to gain IN-SPACe authorization to continue offering their services in India.

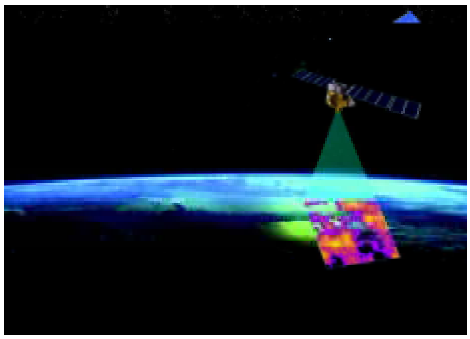

They will need to adapt to the Indian regulatory framework and potentially establish or strengthen their presence in India through subsidiaries, joint ventures, or partnerships.

Indian entities acting as representatives or collaborators with non-Indian satellite operators might see new business opportunities in facilitating compliance and obtaining authorizations.

These entities will bear the responsibility of ensuring that all applications and operations meet IN-SPACe requirements.

STRATEGIC CONSIDERATIONS

This move aligns with broader efforts to strengthen India's domestic space capabilities and regulatory oversight over space-based communication and broadcast services.

While promoting self-reliance, the regulation also allows for international collaboration under defined frameworks, potentially fostering joint ventures and partnerships between Indian and foreign entities.Review current and future satellite capacity needs and initiate the authorization process through IN-SPACe if utilizing non-Indian satellites.Prepare to act as intermediaries, ensuring compliance with IN-SPACe guidelines and facilitating the authorization process for non-Indian satellite operators.■

नक्षत्रों को भारत में अंतरिक्ष आधारित संचार और प्रसारण सेवाओं के लिए अपनी क्षमता प्रदान करने की अनुमति होगी।

प्रसारकों का अनुपालन

प्रसारकों को नयी प्राधिकरण आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा जिसमें संभावित रूप से अतिरिक्त प्रशासनिक कदम और IN-SPACe के साथ समन्वय शामिल हो सकता है।

गैर भारतीय सैटेलाइट ऑपरेटरों के साथ मौजूदा अनुबंधों की समीक्षा करने और संभवतः 2025 की समय सीमा तक नये नियमों के साथ समन्वय करने के लिए फिर से बातचीत करने की आवश्यकता हो सकती है।

गैर भारतीय सैटेलाइट संचालक

इन संचालकों को भारत में अपनी सेवा जारी रखने के लिए IN-SPACe प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए भारतीय संस्थाओं के माध्यम से काम करना होगा।

उन्हें भारतीय नियामक ढ़ांचे के अनुकूल होने की आवश्यकता होगी और संभावित रूप से सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रम या साझेदारों के माध्यम से भारत में अपनी उपस्थिति स्थापित या मजबूत करनी होगी। गैर भारतीय सैटेलाइट ऑपरेटरों के साथ प्रतिनिधि या सहयोगी के रूप में कार्य करने वाली भारतीय संस्थायें अनुपालन को सुविधाजनक बनाने और प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए नये व्यवसायिक अवसर देख सकती हैं। ये संस्थायें यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी लेंगी कि सभी आवेदनों और संचालन IN-SPACe की आवश्यकताओं को पूरा करता हों।

रणनीतिक विचार

यह महत्वपूर्ण कदम भारत की घरेलू अंतरिक्ष क्षमता को और अधिक मजबूत करने और अंतरिक्ष आधारित संचार और प्रसारण सेवाओं पर नियामक निगरानी के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है।

आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए, विनियमन परिभाषित रूपरेखा के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भी अनुमति देता है, जिससे भारतीय और विदेशी संस्थाओं के बीच संयुक्त उद्यमों और साझेदारी को बढ़ावा मिल सकता है। वर्तमान और भविष्य की सैटेलाइट क्षमता आवश्यकताओं की समीक्षा करें और यदि गैर भारतीय सैटेलाइटों का उपयोग किया जा रहा है, तो IN-SPACe के माध्यम से प्राधिकरण प्रक्रिया प्रारंभ करें। मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए तैयार रहें, IN-SPACe दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें और गैर भारतीय सैटेलाइट ऑपरेटरों के लिए प्राधिकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनायें।■